



Neutral Citation No. - 2026:AHC:56282

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 9020 वर्ष 2026

मंजेश उर्फ मंगेशपाल

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के लिए अधिवक्ता	:	जय प्रकाश सिंह
प्रतिपक्षी(गण) के लिए अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री जय प्रकाश सिंह और राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री शत्रुहन यादव को सुना।
2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मामला अपराध संख्या 335 वर्ष 2025, अंतर्गत धारा 80(2), 85 भारतीय न्याय संहिता और धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, पुलिस स्टेशन जलालाबाद, जिला शाहजहांपुर में परीक्षण की लंबितता के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि हालांकि आवेदक मृतका का पति है, लेकिन झूठे आरोप के आधार पर उसे इस मामले में अभियुक्त बनाया गया है।
4. उन्होंने आगे तर्क दिया कि वास्तव में आवेदक 40% विकलांग था और यह तथ्य पत्रावली के पृष्ठ-55 से स्पष्ट है, इसलिए वह पर्याप्त धन अर्जित नहीं कर सकता था और इसी कारण

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पति-पत्नी के बीच प्रायः ही विवाद होते थे और केवल इसी कारण मृतका ने कीटनाशक खाकर आत्महत्या कर ली और यहां तक कि आंतरिक अंगों की रिपोर्ट भी बताती है कि मृतका की मृत्यु एल्युमिनियम फॉस्फाइड के सेवन से हुई थी।

5. इसके बाद उन्होंने कहा कि आवेदक का कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 03.10.2025 से यानी पिछले पांच महीनों से अधिक समय से जेल में है।

6. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने हालांकि जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों के आधार पर दिए गए तर्कों का प्रतिवाद नहीं कर सके।

7. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और मामले के अभिलेख का परिशीलन किया है।

8. हालांकि, आवेदक मृतका का पति है और उसकी पत्नी के विवाह के चार साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। दहेज की मांग को लेकर यातना देने का भी आरोप है, लेकिन मृतका की आंतरिक जांच रिपोर्ट को देखते हुए इस स्तर पर आत्महत्या की संभावना को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही, आवेदक के 40% विकलांग होने के कारण, बहस के दौरान आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताई गई आत्महत्या की संभावना से भी इस स्तर पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।

9. इसके अलावा, प्रथम सूचना रिपोर्ट से भी यह स्पष्ट होता है कि यह दहेज की मांग के अस्पष्ट आरोप पर आधारित है, क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि दहेज की मांग क्या थी। साथ ही, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह इस मामले में 03.10.2025 से यानी पिछले पांच महीनों से अधिक समय से जेल में है।

10. अग्रतर, कानून में यह स्थापित है कि जब तक किसी अभियुक्त का अपराध सिद्ध न हो जाए, उसे निर्दोष माना जाता है और जमानत आवेदन को न तो दंडात्मक और न ही निवारक प्रयोजन से खारिज किया जाना चाहिए।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. अतः, ऊपर बताए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

12. तदनुसार, मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

13. आवेदक- **मंजेश उर्फ मंगेशपाल** को उपरोक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप उसके व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानती प्रत्येक समान राशि के प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i) आवेदक को निर्धारित तिथियों पर परीक्षण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।
- (ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
- (iii) आवेदक किसी भी आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।

14. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

15. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां किए गए संप्रेक्षण जमानत आवेदन के निपटारे से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त संप्रेक्षणों का परीक्षण के दौरान मामले के गुणदोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

17 मार्च, 2026

शहरोज

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।